नोडल एजेंसी राज्य विद्युत बोर्डों और व्यावसायिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एजेंसी के कुछ लेखा कार्मिकों को शामिल करते हुए एक कृतिक बल का गठन कर सकती है।

(ii) बदले हुए परिवेश में राज्य विद्युत बोर्डों से अपेक्षित है कि वे निजी विद्युत विकास के लिए आई०पी०पी० वितरण के निजीकरण के लिए निजी पक्षकारों बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों इत्यादि सहित वित्तीय संस्थानों से विनिमय वार्ता करेंगे। इस स्थिति में राज्य विद्युत बोर्डों को कड़े वित्तीय अनावरण और अनुशासनात्मक अपेक्षाओं से गुजरना होगा। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न एजेंसियों के सूचना हित को ध्यान में रखते हुए राजस्व लेखे और तुलन-पत्र में लम्बाकरण आंकड़ों का समेकित प्रस्तुतीकरण करना होगा।

(iii) प्राप्यों जैसी परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता इंगित करते हुए विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण और चल रहे प्रमुख कार्य जैसे लेखाकरण सूचना का बेहतर मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाए।

(iv) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षक की टिप्पणियों की शामिल किया जाना चाहिए।

(v) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रबंधन की टिप्पणियों को भी वार्षिक लेखा विवरण के अनुबंध के तौर पर शामिल किया जाए।

(vi) राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली पर बोर्ड की रिपोर्ट को वार्षिक लेखे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष के दौरान बोर्ड का निष्पादन, भविष्य सन्दर्श और बोर्ड के समक्ष अन्य निर्णायक मुद्दों का सार दिया जाना चाहिए।

(vii) लेखाकरण नीतियों का प्रावधान करने वाले नियमों में संशोधन।

(viii) उपदान और अन्य अन्तिम लाभों के संबंध में पर्याप्त प्रावधान देयता के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष किए जाने चाहिए।

(ix) राज्य विद्युत बोर्डों को मूल्यह्रास भंडारों का वित्तपोषण करना चाहिए।

(x) नियमों के भाग-2 की अनुसूची-3 में विद्युत शुल्क इत्यादि के पृथक प्रकटन के प्रावधान हेतु संशोधन किया जाए।

(xi) स्क्रैप में डाले गए अतिरिक्त पूर्जों/मदों इत्यादि की मूल कीमत को संगठन को हुई हानि के तौर पर दर्शाया जाना चाहिए।

(xii) आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(xiii) मूल्यांकन में समस्याओं के बावजूद समिति ने कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त विद्युत विक्रय के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को प्रतिपूर्ति करने की अनिवार्य आवश्यकता का समर्थन किया।

गुजरात में बिजली की मांग और आपूर्ति

4699. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गुजरात में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) विद्युत की मांग और आपूर्ति में किस सीमा तक असमानता है;

(ग) क्या जिला स्तर पर मांग और आपूर्ति के बीच कोई असमानता है;

(घ) वर्ष 2000 ई० तक इस राज्य में विद्युत का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है और

(ङ) इस समय विद्युत का कितना उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) अप्रैल-जून, 98 के दौरान गुजरात राज्य में क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है:—

संगठन	अप्रैल-जून, 98 के दौरान विद्युत उत्पादन (मि०यू०)
राज्य क्षेत्र	
जीईबी	6562
निजी क्षेत्र	2572
केन्द्रीय क्षेत्र	2433
जोड़ (गुजरात)	11567

(ख) अप्रैल-जून, 1998 के दौरान गुजरात में विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है:

(आंकड़े मि०यू० निवल में)

आवश्यकता	11628
उपलब्धता	10930
कमी	698
कमी प्रतिशत	6.0%

(ग) राज्य के भीतर विद्युत की आपूर्ति और वितरण करना गुजरात सरकार/गुजरात विद्युत बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता है और विद्युत की आपूर्ति और वितरण मांग के संबंध में विद्युत की उपलब्धता, प्रणालीगत बाधाएं और राज्य सरकार/बिजली बोर्ड की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

(घ) से (ङ) ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष दर वर्ष आधार पर उस विशेष वर्ष के दौरान उपलब्ध विद्युत क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। वर्ष 1999-2000 के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य अभी निर्धारित किए जाने हैं। वर्ष 1998-99 के लिए गुजरात में सभी क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 50220 मि०यू० निर्धारित किया गया है।

Damage caused to GSEB by Recent Cyclone

4700. SHRI BRAHAMKUMAR BHATT: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the number of cities and villages where power was disrupted due to the recent cyclone over Kutch and other districts of Gujarat;

(b) the details of the damage caused to Gujarat State Electricity Board; and

(c) the amount of compensation earmarked to GSEB?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) The number of villages affected due to recent cyclone in Gujarat district is given in enclosed statement I. (*See* below)

(b) The details of damage caused to Gujarat Electricity Board due to cyclone is given in enclosed statement (*See* below)

(c) Two instalments of Rs. 29.03 crores each amounting to Rs. 58.06 crores from the Calamities Relief Fund have been released to the Government of Gujarat. The State Government has requested for additonal assistance of Rs. 500 crores. Based on the recommendations of the Central team, which recently visited Gujarat, the Government will decide on the quantum of assistance to be provided to the State Government including Gujarat Electricity Board.

Statement-I

Sl. No.	District	No. of Villages affected
	SOUTH ZONE	
1.	Valsad	787
2.	Surat	518
3.	Bharuch	1248
4.	Baroda	1387
5.	Baroda C	0
6.	Anand	631
7.	Godhra	155
	Z-TOTAL	4726
	NORTH ZONE	
8.	Sabarmati	438
9.	[illegible] Nagar	650
10.	[illegible]sana	951
11.	Palanpur	1180
12.	Himatnagar	515
	Z-TOTAL	3734
	WEST ZONE	
13.	Rajkot	910
14.	Bhavnagar	854
15.	Jamnagar	714
16.	Probandar	872
17.	Amreli	860
18.	Bhuj	894
	Z-TOTAL	5104
	Total	13654